



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17455

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 46196 वर्ष 2024

प्रिंस

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: विजय कुमार, विमल कांत

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल कांत की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवेश कुमार और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 159/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 506 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन हस्तिनापुर, जिला मेरठ में जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. इस न्यायालय ने दिनांक 18.1.2024 के आदेश द्वारा आवेदक को जमानत प्रदान की थी और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. सूची में पुनरीक्षण किया गया है।"

2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल कांत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष त्यागी और राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

3. आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 506 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 159/2024, पुलिस स्टेशन - हस्तिनापुर, जिला - मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपियों का शिकायतकर्ता के पिता के साथ कहासुनी हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप, आवेदक ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 28.06.2024 को दोपहर लगभग 1:00 बजे उनका पीछा किया। जिसके दौरान उन्होंने उनके पिता का रास्ता रोका और सह-आरोपी सुरेश पाल के उकसाने पर सह-आरोपी आदित्य ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में लगाए गए आरोप से उसका कोई संबंध नहीं है। एफआईआर दर्ज करने में लगभग सात घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक पर मृतक व्यक्ति का मार्ग अवरुद्ध करने का आरोप है, इसलिए आरोप झूठे हैं। सह-आरोपी सुरेश पाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को सीएमबीए संख्या 36116/2024 में पारित आदेश के माध्यम से इस आधार पर जमानत पर रिहा किया गया है कि उसकी भूमिका केवल उकसाने की थी। आवेदक का मामला सह-आरोपी सुरेश पाल के समान है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।

7. आवेदक की ओर से उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें दी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आवेदक को झूठा फंसाया गया है, उनका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 29.06.2024 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इसके विपरीत, राज्य विधि अधिकारी और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी सुरेश पाल के बराबर नहीं है, जिसकी भूमिका केवल उकसाने की है, जबकि आवेदक ने अपराध करने में सक्रिय भूमिका निभाई है क्योंकि उसने मृतक का रास्ता रोका था। यदि उसने ऐसा न किया होता, तो शिकायतकर्ता के पिता की हत्या नहीं होती। हालांकि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य तर्कों और इस तथ्य से असहमत नहीं हो सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 INSC 690 और मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. मुख्य आरोपी आदित्य का मामला आवेदक के मामले से भिन्न है।

11. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- प्रिंस को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा:

(1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाए और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए।

12. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" अनुमति दे दी गयी.

सीआरएल.ए. संख्या.....2025@ एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8865 वर्ष 2025

2. अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता, हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन के मामले संख्या 0159 के संबंध में दिनांक 28 जून, 2024 को भारतीय दंड संहिता, 18601 की धारा 147, 148, 149, 302, 506 के तहत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजवीर को दी गई जमानत के आदेश से व्यथित है। यह जमानत आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 44876/2024 में पारित किया गया था।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट² के अवलोकन से पता चलता है कि इस कार्यवाही की शुरुआत अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता और सुरेश पाल और उसके बेटे आदित्य के बीच हुई मौखिक कहासुनी से हुई थी। सुरेश पाल और आदित्य उसके सह-ग्रामीण थे। अपीलकर्ता के पिता, सोनवीर ने विवाद को बढ़ने से रोका, जिसके परिणामस्वरूप सुरेश पाल ने उसे धमकी दी। एफआईआर दर्ज किए जाने वाले दिन, जब अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता, आरोपी से असंबंधित किसी मामले के लिए, रविंद्र नामक व्यक्ति की ज़मीन पर जा रहे थे, तब कथित तौर पर, आरोपी सुरेश पाल, राजवीर, सौरभ, आदित्य, प्रिंस, और बिजेंद्र, पिस्तौल से लैस होकर उनका रास्ता रोकने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए आगे आए। आरोपी राजवीर आगे आया और उन्हें धमकी दी कि विरोध करने के लिए उन सभी को, विशेष रूप से सोनवीर को, सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद सुरेश पाल ने आरोपी आदित्य को सोनवीर पर गोली चलाने के लिए उकसाया, जिसके बाद सोनवीर ने गोली चला दी और गोली उसके कंधे के नीचे सीने में लगी, जिससे वह ज़मीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।

4. एफआईआर के परिणामस्वरूप, आरोपी राजवीर को गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड में इस बात का उल्लेख है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मेरठ द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिकाएं कम से कम दो बार खारिज कर दी गईं। 12 सितंबर 2024 को जारी अस्वीकृति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का दूसरा आदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विवादित आदेश पारित हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिका खारिज करने का कारण मृत्यु से पहले लगी चोटों का उल्लेख था, जिनमें विशेष रूप से गोली लगने का घाव और दो कटे हुए घाव शामिल थे। यह पाया गया कि आरोपी पर लगाए गए अपराध की प्रकृति गंभीर है और इन परिस्थितियों में जमानत याचिका खारिज करना आवश्यक था।

5. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी सुरेश पाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को विविध जमानत आवेदन संख्या 36116/2024 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि आवेदक की भूमिका पहले से ही जमानत पर रिहा किए गए सह-आरोपी के समान है, इसलिए समानता के आधार पर, आवेदक भी जमानत पाने का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 29.06.2024 से जेल में है। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि उसे रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. वादी और राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया है, हालांकि

आवेदक की सह-आरोपी से समानता के तथ्यात्मक पहलू पर कोई विवाद नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नाभा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 938 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस राम बिश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो एमएनयू/एससीओआर/22410/2021 और सतिंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आईएनएससी 690 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय की राय में, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। समानता के आधार पर आवेदक की जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

6. जमानत आवेदन की योग्यता पर केवल दो ही टिप्पणियाँ हैं: प्रतिवादी-आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पिता को उच्च न्यायालय के दिनांक 22 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा विविध जमानत आवेदन संख्या 36116/2024 में जमानत पर रिहा किया गया था। संक्षेप में, उसके पिता के साथ समानता ही प्रतिवादी-आरोपी को जमानत देने का एकमात्र आधार था।

7. उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश पाल को जमानत पर रिहा करने के कारण यह थे कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह संकेत मिले कि वह न्याय से भाग रहा था

या उन अपराधों को दोहराकर और अधिक परेशानी पैदा कर रहा था जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। माननीय न्यायाधीश ने यह भी ध्यान में रखा कि वह मेरठ स्थित बीएसए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और उसके पास मौजूद घावों की व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष असमर्थ था।

8. इस आदेश से व्यथित अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने मामले को हमारे समक्ष अपील में लाया था, और आपराधिक अपील संख्या 1200/2025 में दिनांक 3 मार्च 2025 को पारित हमारे आदेश के माध्यम से, हमने जमानत देने वाले आदेश को रद्द करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया:-

“6. जैसा कि विवादित आदेश से स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने जमानत देने के आवेदन को स्वीकार करने में कोई कारण नहीं बताया है, सिवाय इसके कि “ऐसे कोई महत्वपूर्ण विवरण या परिस्थितियाँ नहीं हैं जो आवेदक के न्याय से भागने या न्याय के मार्ग में बाधा डालने का संकेत देती हों”। उच्च न्यायालय से कम से कम यह अपेक्षा की जाती थी कि वह तथ्यों का मूल्यांकन करे और कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू करे, विशेष रूप से हत्या के आरोपों से जुड़े मामले में, जमानत देते समय।

7. अतः, हम सीआरएमबीए संख्या में दिनांक 22.11.2024 के आदेश को रद्द करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 36116/2024 जिसका शीर्षक “सुरेश पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” है, के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2-सुरेश पाल को तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह भी ध्यान देने योग्य है कि तीसरे आरोपी आदित्य द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26358/2025 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

10. विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में किया है, सह-आरोपियों के साथ समानता को जमानत देने का एकमात्र कारण माना जा सकता है। जमानत को अक्सर नियम और कारावास को अपवाद बताया गया है। इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता। साथ ही, इसका यह अर्थ नहीं है कि आरोपी को उस कथित अपराध से संबंधित परिस्थितियों पर विचार किए बिना जमानत दी जानी चाहिए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जमानत देते समय न्यायालय को कई पहलुओं पर विचार करना होता है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनगिनत निर्णयों में प्रासंगिक पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। इसका एक हालिया उदाहरण **अशोक धनकड़ बनाम स्टेट ऑफ़ एनसीटी ऑफ़ दिल्ली और अन्य (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1690)** मामले में मिलता है। इसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

“19. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप जो सिद्धांत उभरते हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) जमानत दिए जाने के विरुद्ध अपील को जमानत रद्द करने के आवेदन के समान नहीं माना जा सकता;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) संबंधित न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सतही विश्लेषण नहीं करना चाहिए। ऐसे साक्ष्यों की योग्यता का निर्णय जमानत के चरण में नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) जमानत देने के आदेश में विवेकपूर्ण निर्णय और जमानत देने के लिए प्रासंगिक कारकों का आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है।

[देखें: वाई बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त); जैबुनिशा बनाम मेहरबान और भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार दीपू]

(iv) जमानत दिए जाने के विरुद्ध अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, जैसे कि विकृति; अवैधता; कानून के साथ असंगति; प्रासंगिक कारकों पर विचार न किया जाना, जिसमें अपराध की गंभीरता और अपराध का प्रभाव शामिल है;

(v) हालांकि, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जमानत दिए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाना चाहिए। जमानत रद्द करने के आवेदन में ऐसे आधारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए; और

(vi) जमानत दिए जाने के विरुद्ध अपील को प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी अपील केवल ऊपर वर्णित आधारों तक ही सीमित होनी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपरोक्त कारकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा। समानता के संदर्भ में, **रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य (2021) 6 एससीसी 230** का उल्लेख करना आवश्यक है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि समानता को जमानत के आधार के रूप में उपयोग करते समय, इसे आरोपी की भूमिका पर केंद्रित किया जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी अन्य आरोपी को उसी अपराध के संबंध में जमानत दी गई थी, और न ही इस आधार को अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। [यह भी देखें: तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1486; सबिता पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 374]

12. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आरोपी-प्रतिवादी को केवल समानता के आधार पर जमानत दे दी है, जिसे उसने सीधे लागू करने के एक उपकरण के रूप में गलत समझा है, जबकि समानता आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका पर केंद्रित होती है, न कि एक ही अपराध के सूत्र पर, जो कि आरोपियों के बीच एकमात्र समान कारक है। केवल इसी आधार पर हम विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर सकते हैं। हालाँकि, हम ऐसा नहीं करेंगे और आगे की पड़ताल करेंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. समानता को एक आधार के रूप में कानून की स्थिति स्पष्ट करने के प्रयास में, हम उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या राय/समझ में अभिसरण है या विचलन।

13.1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *नन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1992 एससीसी ऑनलाइन ऑल 871* में निम्नलिखित अवलोकन किया:-

24. संदर्भित बिंदुओं के संबंध में मेरा उत्तर यह है कि समानता एकमात्र आधार नहीं हो सकती है, जमानत देने का, यहाँ तक कि दूसरी, तीसरी या उसके बाद की जमानत याचिकाओं के चरण में भी,

जब सह-आरोपी की जमानत याचिकाएँ, जिनकी जमानत पहले खारिज कर दी गई थी, स्वीकार कर ली जाती हैं और सह-आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। तब भी न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि, प्रस्तुत अधिक सामग्री, जाँच में आगे के घटनाक्रमों या अन्य विभिन्न विचारों पर विचार करने के बाद, आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। यदि किसी मामले की जाँच करने पर यह पता चलता है कि न्यायालय के समक्ष आवेदक का मामला, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जमानत पर रिहा किए गए आरोपी के मामले से बिल्कुल मिलता-जुलता है, तो संगति की आवश्यकता यह होगी कि ऐसे आरोपी को भी जमानत पर रिहा कर दिया जाए। संदर्भित प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मेरा उत्तर यह है कि किसी आरोपी के लिए अपने आवेदन में यह बताना बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि किसी सह-आरोपी की जमानत याचिका पहले खारिज कर दी गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13.2 दिल्ली उच्च न्यायालय ने *हरभजन सिंह बनाम राज्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 4920*

में यह मानते हुए कि समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, टिप्पणी की:

“15. ... इस संबंध में, यह न्यायालय इस स्थापित सिद्धांत को दोहराना उचित समझता है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में, प्रत्येक मामला अलग-अलग आधारों पर होता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर कोई सीधा-सादा सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है। निस्संदेह, न्यायिक समानता के महत्व का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि 'समानता' शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समान स्तर पर रखा जाता है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि समानता किसी ऐसे मामले में जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है, जहां अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हों और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया हो। यह पूरी तरह से न्यायालय का विवेक है। जमानत देने या अस्वीकार करने से पहले, न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और आगे के घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद, जांच या अन्य मामलों और प्रत्येक मामले की अन्य विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। यदि किसी मामले की जांच करने पर यह पता चलता है कि यदि न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवेदक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी से हूबहू मिलता-जुलता है, जिसे जमानत मिल चुकी है, तो संगति की आवश्यकता के कारण ऐसे आरोपी को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13.3 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने *अभय गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन एचपी 1758* में यह निर्णय दिया कि:

“यह सर्वविदित है कि समानता मात्र जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। यह जमानत के प्रश्न पर विचार करने के आधारों में से एक मात्र है। ऐसा कोई पूर्णतः अनिवार्य नियम नहीं है कि जब किसी अन्य सह-आरोपी को जमानत दी गई हो तो सह-आरोपी को भी जमानत दी जानी चाहिए। यदि किसी मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह पता चलता है कि जमानत याचिकाकर्ता का मामला, जमानत पर रिहा किए गए आरोपी के मामले और तथ्यों एवं परिस्थितियों से हूबहू मिलता-जुलता है, तो संगति के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे आरोपी को भी जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

13.4 कर्नाटक उच्च न्यायालय, *बेंगलुरु ने श्री नारायणस्वामी बनाम कर्नाटक राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन कर 1066* में, अरविंद कुमार न्यायमूर्ति (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से निर्णय देते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की:

“24. समता का नियम किसी आरोपी को जमानत देने में लागू होगा, जहां सह-आरोपी को समान परिस्थितियों में जमानत दी गई हो। समता का नियम एक वांछनीय नियम है जहां आरोपी/याचिकाकर्ता का मामला सह-आरोपी के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। केवल इसलिए कि सह-आरोपी को भी जमानत दी गई है, यह जमानत देने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती और यदि किसी मामले में अभिलेखों की जांच और छानबीन से यह पता चलता है कि न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला, पहले से जमानत प्राप्त आरोपी के मामले से हूबहू मिलता-जुलता है, तो याचिकाकर्ता को भी जमानत पर रिहा करना उचित होगा। हालांकि, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री और जांच में हुए घटनाक्रमों से परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो इस पहलू पर भी विचार करना आवश्यक है और ऐसी परिस्थितियों में समानता के सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से या एक कठोर नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

13.5 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने *नीरज उर्फ विक्की शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन एमपी 7023* मामले में यह माना कि समानता जमानत याचिका पर विचार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, यहां तक कि दूसरी या तीसरी जमानत याचिका के चरण में भी। यह भी कहा गया कि “न्याय में विफलता हो सकती है यदि किसी सह-आरोपी को उसकी समानता के आधार पर जमानत दी जाती है, जिसकी जमानत आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है।”

13.6 एक बार फिर, *दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले - प्रदीप बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) 2023 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4307* - में एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह माना कि किसी सह-आरोपी को जमानत देना अपने आप में अन्य आरोपियों को जमानत का आधार नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देता है। यहां तक कि जब समानता को आधार बनाया जाता है, तब भी परिस्थितियों के समग्र योग पर विचार किया जाना चाहिए।

13.7 हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **सुबीर भट्टाचार्य बनाम सीबीआई, 2024 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 11889** में भी निम्नलिखित शब्दों में यही दृष्टिकोण अपनाया:

30. जमानत देने के लिए समानता एकमात्र आधार नहीं हो सकती, भले ही सह-आरोपी की जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि, प्रस्तुत अधिक सामग्री, जांच में आगे के घटनाक्रम और अन्य विभिन्न विचारों पर विचार करने के बाद, आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। समानता के पहलू पर निर्णय लेते समय, आरोपी व्यक्तियों की भूमिका, घटना और पीड़ितों के संबंध में नकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय सरल आकलन के आधार पर समानता पर आगे नहीं बढ़ सकता, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं है।

14. ऊपर उल्लिखित सीमित सीमा तक ही संदर्भित किए गए उपरोक्त निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय एकमत से यह कहते हैं कि समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं है। निःसंदेह, कानून में यही सही स्थिति है। कैम्ब्रिज शब्दकोश में 'समानता' शब्द की परिभाषा इस प्रकार है:

“समानता, विशेषकर वेतन या पद की समानता।”¹⁴ समानता के आधार पर किसी आवेदन का मूल्यांकन करते समय, 'पद' ही निर्णायक कारक होता है। 'पद' की आवश्यकता केवल एक ही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध में संलिप्तता से पूरी नहीं होती। पद का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के आवेदन का मूल्यांकन किया जा रहा है, अपराध में उसकी क्या भूमिका है। अलग-अलग भूमिकाएँ निभाई जा सकती हैं - किसी बड़े समूह का सदस्य, डराने-धमकाने का इरादा रखने वाला; हिंसा का उकसाने वाला। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए ऐसे शब्दों से उकसाए जाने पर, दूसरे पक्ष पर हाथ उठाने वाला व्यक्ति, किसी हथियार से गोली चलाने वाला या कुल्हाड़ी चलाने वाला व्यक्ति - इन लोगों की समानता उन लोगों से होगी जिन्होंने इसी तरह के कृत्य किए हैं, न कि उस व्यक्ति से जो समूह के विशाल आकार से दूसरे को डराने के लिए समूह का हिस्सा था, या उस व्यक्ति से जिसने विरोधी के अंगों पर हथियार से वार करने का प्रयास किया।

15. इस मामले में, प्रतिवादी-आरोपी उस समय उकसाने वाला था, जिसने आरोपी आदित्य को सोनवीर को गोली मारने के लिए कहा। सुरेश पाल, एफआईआर के अनुसार, हथियार लिए हुए भीड़ का सदस्य था। मूल झगड़े/मौखिक कहा-सुनी के समय धमकी देने वाला वही व्यक्ति था। मृतक की गोली लगने के समय इन दोनों व्यक्तियों की भूमिकाएँ एक जैसी नहीं कही जा सकतीं, भले ही उनका इरादा दूसरे पक्ष को नुकसान पहुँचाने का एक जैसा रहा हो। इस दृष्टि से, समानता के आधार पर जमानत पर विचार करना अनुचित है। इसके अलावा, कोई समानता नहीं रह जाती क्योंकि सुरेश पाल भी, जैसा कि हम मानते हैं, हमारे आदेश के परिणामस्वरूप जेल में है।

16. इस स्थिति को देखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाता है। प्रतिवादी-आरोपी राजवीर को इस निर्णय की तिथि से दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी केवल जमानत देने के विरुद्ध इस अपील के निर्णय के लिए है, और इससे अधिक कुछ नहीं। इसे मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

सीआरएल.ए. संख्या.....वर्ष 2025 @ एसएलपी(सीआरएल.)संख्या 8866वर्ष 2025

17. यह अपील मृतक सोनवीर की कथित हत्या के मामले में सह-आरोपी प्रिंस को जमानत देने के आदेश को चुनौती देती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 46196/2024 में केस संख्या 159/2024 के संबंध में प्रतिवादी-आरोपी प्रिंस की रिहाई का निर्देश दिया।

18. प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाता है कि चूंकि इस मामले की पृष्ठभूमि वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, इसलिए इसे दोबारा वर्णित करने का कोई औचित्य नहीं है। उच्च न्यायालय का विवादित आदेश चार पृष्ठों का है, लेकिन इसमें प्रतिवादी-आरोपी प्रिंस को जमानत देने के संबंध में न्यायालय द्वारा उठाए गए किसी भी कारण का उल्लेख नहीं है। **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 और मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई, (2024) 12 एससीसी 691** का सीधा संदर्भ दिया गया है, हालांकि, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का ऐसा संदर्भ देने के बावजूद, यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इन मामलों में हमने जो निर्णय लिया है, वह इस मामले पर लागू होता है या नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार और अन्य, (2022) 4 एससीसी 497 में, न्यायमूर्ति नागरत्ना, तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए, इस न्यायालय के कई पूर्व निर्णयों पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय दिया:

“36. ... जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों से स्पष्ट है, किसी न्यायालय के लिए जमानत देते समय विस्तृत कारण देना आवश्यक नहीं है, विशेषकर तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और अभियुक्त द्वारा लगाए गए अपराधों के आरोप अभी तक स्पष्ट न हुए हों। जमानत के लिए आवेदन पर आदेश देते समय विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किए जा सकते हैं जिससे यह आभास हो कि मामला दोषसिद्धि या बरी होने की ओर अग्रसर है। साथ ही, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति; यदि आरोप संदेह से परे सिद्ध हो जाते हैं और दोषसिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं तो सजा की गंभीरता; अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की उचित आशंका; साक्ष्यों से छेड़छाड़; अभियोजन पक्ष के मामले की तुच्छता; अभियुक्त का आपराधिक इतिहास; और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि के बीच संतुलन बनाना होगा।

37. अंततः, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध को ध्यान में रखते हुए और मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हुए, न्यायसंगत तरीके से और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार विवेक का प्रयोग करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



38. इस प्रकार, यद्यपि जमानत देने के लिए विस्तृत कारण बताना आवश्यक नहीं है, फिर भी, तर्कहीन या प्रासंगिक कारणों से रहित आदेश जमानत नहीं दे सकता। केवल एक अस्पष्ट आदेश ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामले में, अभियोजन पक्ष या सूचनाकर्ता को उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने का अधिकार है।

20. स्पष्टतः, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में कारण बताने में असमर्थता दिखाई है, संक्षेप में भी नहीं। अतः, विवादित आदेश रद्द किया जाता है और इस स्थिति को देखते हुए, प्रतिवादी आरोपी प्रिंस की जमानत का प्रश्न उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है, ताकि अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में बार-बार उल्लिखित अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस पर नए सिरे से विचार किया जा सके।

21. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति

अलाभांद उच्च न्यायालय के माननीय रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए भेजें। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

अभियोजन पक्ष का विवरण:

6. सह-आरोपियों का शिकायतकर्ता के पिता के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आवेदक ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 28.6.2024 को दोपहर लगभग 1.00 बजे उन पर हमला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। उन्होंने शिकायतकर्ता के पिता का रास्ता रोका और सह-आरोपी सुरेश पाल के उकसाने पर एक अन्य सह-आरोपी आदित्य ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

आवेदक की ओर से दलीलें:

7. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस अपराध से कोई संबंध नहीं है। एफआईआर दर्ज करने में सात घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

8. आवेदक की भूमिका सूचनाकर्ता के पिता का रास्ता रोकने की है, जिन पर आदित्य ने गोली चलाई थी। हत्या का आरोप आदित्य पर लगाया गया है और उकसाने का आरोप सुरेश पाल पर। यह आरोप कि आवेदक ने मृतक का रास्ता रोका था, जिससे उक्त अपराध में सहायता मिली, झूठे हैं। आवेदक को केवल सह-आरोपी आदित्य के साथ उसके संबंध के आधार पर आरोपी बनाया गया है।

9. कुल मिलाकर, एक ही परिवार के छह व्यक्तियों को इस मामले में फंसाया गया है। एक सह-आरोपी का नाम बरी कर दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि सूचनाकर्ता परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने पर तुला हुआ था। इसमें सक्रिय भूमिका केवल आदित्य की है, जो सुरेश पाल के उकसावे पर थी।

10. आवेदक का उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं था। सह-आरोपी राजवीर की भूमिका यह है कि उसने सह-आरोपी को उक्त अपराध करने के लिए उकसाया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आवेदक 29.6.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क:

12. आवेदक मुख्य आरोपियों में से एक है, क्योंकि उसने सूचनाकर्ता के पिता का रास्ता रोका था और यदि उसने ऐसा न किया होता, तो अपराध नहीं होता। इस प्रकार, उसने आदित्य द्वारा अपराध करने में सहायता की और अपराध में उसका भी योगदान था।

13. समान परिस्थितियों वाले राजवीर की जमानत याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

निष्कर्ष:

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक ने सूचनाकर्ता के पिता का मार्ग अवरुद्ध किया था, जिससे अपराध को अंजाम देने में सहायता मिली, और यह कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी राजवीर की जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता। जमानत याचिका योग्यताहीन पाई जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

15. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का शीघ्रता से निपटारा किया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों में **विनोद कुमार**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)

5 एससीसी 702 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

27 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।